(94)

संख्याः 105/XXXVI(1)/2011

प्रेषक,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं . विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, जिला–नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई, 2011

विषय– अतिथि वक्ताओं के मानदेय की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 दिनांक 537/02–VIII/2010 दिनांक 03.05.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 24/8/76 का–प्र.स.को./1999 दिनांक 11 अगस्त 1999 के द्वारा अतिथि वार्ताकारो को अनुमन्य मानदेय की दरों को उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली की मा0 शासी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साधारण दर से रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) तथा विशिष्ट दर से रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) निम्न शर्तों के अधीन निर्धारित किये जाने की, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)– नियमित रूप से आमंत्रित किये जाने वाले स्थानीय वार्ताकारों को साधारण दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

(2)– बाहर से बुलाये जाने वाले विशेषज्ञ वार्ताकारों को विशिष्ट दर से मानदेय का भुगतान किया जाय।

2– जो अतिथि वार्ताकार शासकीय सेवा में हो, उन्हें उनकी अनुमन्यतानुसार यात्रा किराया तथा जो अतिथि वार्ताकार शासकीय सेवा में नही है उन्हें रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का काठगोदाम तक आने जाने का किराया एवं टैक्सी का किराया नियमानुसार अनुमन्य होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित विभागों के आय व्यय की मदो के अन्तर्गत सुसगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाले जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 74NP/XXVII(5)/2011-12 दिनांकः 21 जुलाई 2011 को प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

E:\vividh letter.doc